

## कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कानपुर नगर।

पत्रांक: प्रा0मान्यता/3066-70

/2021-22


दिनांक 15.7.21

### आदेश

शासनादेश संख्या सं0 419/79-6-2013-18 (20) 91 दिनांक 8 मई, 2013 एवं शासनादेश संख्या सं0 89/अरसठ /-3-2018-2041 दिनांक 11 जनवरी 2019 में अशासकीय नर्सरी/प्राथमिक (प्राइमरी)/उच्च प्राथमिक (जूनियर हाई स्कूल) अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों को मान्यता दिए जाने हेतु निर्दिष्ट नियमों एवं शर्तों के आलोक में जनपदीय मान्यता समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार निर्धारित शर्तों को पूरा किए जाने के अध्यक्षीन "स्कोमिया अकादमी बूढ़पुर मछरिया कानपुर नगर" को एक शैक्षिक सत्र हेतु अनन्तिम मान्यता प्रदान की गयी थी। उल्लिखित शासनादेश में यह व्यवस्था दी गयी है कि "निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धिक मान्यता प्रथमतः एक वर्ष के लिए दी जायेगी। एक वर्ष के पश्चात मान्यता से सम्बन्धित नियमों व शर्तों का पुनः निरीक्षण किया जायेगा और आर0टी0ई0 के अनुसार विद्यालय चलते रहने पर एक वर्ष के पश्चात विद्यालय को स्थाई मान्यता प्रदान कर दी जायेगी।"

अतः प्रबन्धक द्वारा किए गए अनुरोध के क्रम में उल्लिखित शासनादेश में निहित व्यवस्था के तहत विद्यालय में एक वर्ष में मान्यता शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित न होने की दशा में खण्ड शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय द्वारा प्रस्तुत आख्या/संस्तुति के आलोक में निम्न विवरणानुसार विद्यालय को प्रदान की गयी/अनन्तिम मान्यता, आदेश निर्गमन तिथि से एक वर्ष की अवधि पूर्ण होने के फलस्वरूप एतद् द्वारा अनन्तिम मान्यता का स्थाई करण करते हुए विद्यालय संचालन की अनुमति प्रदान की जाती है तथा निर्देशित किया जाता है कि समय-2 पर चाटर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा प्रमाणित विद्यालय का लेखा विवरण एवं सोसाइटी का नवीनीकरण प्रमाणपत्र अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है, कि मान्यता आदेश में वर्णित समस्त शर्तों का यथावत पालन किया जाना अनिवार्य होगा।


क्र0 स0	विद्यालय का नाम व पता	क्षेत्र का नाम	मान्यता का माध्यम	मान्य कक्षाएं	मान्यता आदेश संख्या व दिनांक
1	2	3	4	5	6
1	स्कोमिया अकादमी बूढ़पुर मछरिया कानपुर नगर।	किदवई नगर	अंग्रेजी माध्यम	कक्षा-1 से कक्षा-5	प्रा0मा0-अंग्रेजी माध्यम/ 20227-36 /2019-20/.दिनांक 8.11.2019

  
 डा0पवन कुमार  
 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
 कानपुर नगर।  
 15/7/21

पू0सं0/प्रा0मान्यता/3066-70 /2021-22 तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बे0)कानपुर मण्डल, कानपुर।
- 2- जिला समाज कल्याण अधिकारी /अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी /पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी-कानपुर नगर।
- 3- सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, कानपुर नगर।
- 4- सम्बन्धित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाध्यापक को अनुपालनार्थ।
- 5- कार्यालय प्रति।

  
 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
 कानपुर नगर।  
 15/7/21



8

## कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उन्नाव

पत्रांक: प्रा0मान्यता/3072-78

/2021-22

दिनांक 19.07.21

## आदेश

शासनादेश संख्या419/79-6-2013-18(20)91 दिनांक 08 मई 2013 एवं शासनादेश संख्या 89/अरसठ/-3-2018/2041 दिनांक 11 जनवरी 2019 में अशासकीय नर्सरी/प्राथमिक (प्राइमरी)/उच्च प्राथमिक (जूनियर हाईस्कूल) अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों को मान्यता दिये जाने हेतु निर्दिष्ट नियमों एवं शर्तों के आलोक में जनपदीय मान्यता समिति द्वारा दिये गये निर्णय के अनुसार निर्धारित शर्तों को पूरा किये जाने के अध्यक्षीन "स्कोमिया अकादमी बूढ़पुर मछरिया कानपुर नगर" को एक शैक्षिक सत्र हेतु अनन्तिम मान्यता प्रदान की गयी थी। उल्लिखित शासनादेश में यह व्यवस्था दी गयी है कि " निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धिक मान्यता प्रथमतः एक वर्ष के लिए दी जायेगी। एक वर्ष के पश्चात मान्यता से सम्बन्धित नियमों व शर्तों का पुनः निरीक्षण किया जायेगा और आर0टी0ई0 के अनुसार विद्यालय चलते रहने पर एक वर्ष के पश्चात विद्यालय को स्थाई मान्यता प्रदान कर दी जायेगी।

अतः प्रबन्धक द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में उल्लिखित शासनादेश में निहित व्यवस्था के तहत विद्यालय में एक वर्ष में मान्यता शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित न होने की दशा में खण्ड शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय द्वारा प्रस्तुत आख्या/संस्तुति के आलोक में निम्न विवरणानुसार विद्यालय को प्रदान की गयी अनन्तिम मान्यता, आदेश निर्गमन तिथि से एक वर्ष की अवधि पूर्ण होने के फलस्वरूप एतद द्वारा अनन्तिम मान्यता का स्थाई करण करते हुए विद्यालय संचालन की अनुमति प्रदान की जाती है तथा निर्देशित किया जाता है कि समय-2 पर चार्टर्ड एकाउन्टेट द्वारा प्रमाणित विद्यालय का लेखा विवरण एवं सोसाइटी का नवीनीकरण प्रमाणपत्र अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत किया जाय साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि मान्यता आदेश में वर्णित समस्त शर्तों का यथावत पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

क्र0 सं0	विद्यालय का नाम व पता	विकासखण्ड का नाम	मान्यता का माध्यम	मान्य कक्षाएं	मान्यता आदेश संख्या व दिनांक
1	2	3	4	5	6
1	स्कोमिया अकादमी बूढ़पुर मछरिया कानपुर नगर	किदवई नगर	अंग्रेजी माध्यम	कक्षा-6 से कक्षा-8	पत्रांक/मान्यता/प्राथमिक/21668-76/2019-20 दिनांक 25-11-2019

*Pawan Kumar*  
(डा0 पवन कुमार)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
कानपुर नगर।

19/7/21

पू0सं0/प्रा0 मान्यता/3072-78 /2021-22 तददिनांक।

प्रतिलिपि-निर्माकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बे0) कानपुर मण्डल कानपुर।
- 2- जिला समाज कल्याण अधिकारी/अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी-कानपुर नगर।
- 3- सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी कानपुर नगर।
- 4- सम्बन्धित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाध्यापक को अनुपालनार्थ।
- 5- कार्यालय प्रति।

*Pawan Kumar*

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
कानपुर नगर।

19/7/21

